EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

द हिंदू यूपीएससी CSE के लिए महत्वपूर्ण समाचार लेख और संपादकीय

Friday, 12 July , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय**	1,930 कंटेनर लेकर सैन फर्नांडो केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर डॉक करने वाला पहला मदरशिप बन गया
Page 04 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	म्यांमार संकट के बीच भारत ने बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की मेजबानी की
Page 05 **Syllabus : GS 2 & 3 : शासन और भारतीय अर्थव्यवस्था**	केंद्र ने श्रम संहिता लागू करने के प्रयास शुरू किए
Page 09 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	क्या राज्यों को वित्त आयोग के आवंटन के अलावा विशेष पैकेज मिलना चाहिए?
समाचार में शब्द	हीट डोम
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : भारतीय समाज : जनसंख्या और संबंधित मुद्दे**	पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में वर्जनाओं को तोड़ना
मानचित्र	**विषय:** गंगा नदी प्रणाली

Page 03 : GS 2 : Social Justice

चीन के ज़ियामेन से पहला मालवाहक जहाज़ गुरुवार सुबह भारत के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा।

- विझिनजाम भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।
- सैन फर्नांडो नामक कंटेनर जहाज़, जिसका झंडा मार्शल आइलैंड्स ने लगाया था और जिसका प्रबंधन बर्नहार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट ने किया था, 1,930 कंटेनर ले गया।

Carrying 1,930 containers, *San Fernando* becomes first mothership to dock at Kerala's Vizhinjam port

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

Scripting a new chapter in the maritime history of the country, the first mothership carrying cargo from the Xiamen port in China called at the Vizhinjam international seaport, India's first deep-water container transshipment port, on Thursday morning.

The Marshall Islands-flagged container ship *San Fernando*, owned by SFL Corporation Ltd. and chartered by Maersk (AP Moller Group), Denmark, is managed and operated by Bernhard Schulte Ship Management, Singapore.

Adani Port pilots boarded the ship carrying 1,930 containers around 7.45 a.m. when the ship reached the passage leading to the berth. The ship was then navigated through the buoyed channel to enter the tranquil breakwater area inside the port. The ship turned around before the tugs pushed it to the berth and moved the ship to the wharf with mooring ropes.

Mega visitor: *San Fernando* will leave for Colombo on Friday after the official reception planned by the Kerala government.

Four tugs were pressed in to bring the ship to the berth. Three tugs were involved in pushing the ship forward and pulling the aft, or *vice versa*, to turn the ship to get the bow facing out and then aligned the ship with the berth before the tugs finally pushed the ship to berth. The ship's bow thruster and the power from the main engine were also used for the berthing.

The vessel was set to begin the work of offloading 1,930 containers by around 2 p.m.

Water salute

The ship was also accorded a water salute at the port. The ship will leave for Colombo on Friday after the official reception planned by the State government to be attended by Chief Minister Pinarayi Vijayan, Union Shipping Minister Sarbananda Sonowal, and others.

The work on the ₹7,700-crore port project, one of the major flagship infrastructure projects promoted by the Kerala government with the Adani Group in the public-private partnership (PPP) mode, started on December 5, 2015.

However, the project, which was scheduled to be commissioned in 2019, got delayed and missed several deadlines due to various reasons. The trial run of the port will officially begin on July 12, ahead of the revised scheduled commissioning in December 2024.

मदरशिप क्या है?

- मदरशिप एक बड़ा जहाज या विमान होता है जो छोटे वाहनों या जहाजों को ले जाता है, लॉन्च करता है या उनका समर्थन करता है।
- समुद्री संदर्भों में, यह आम तौर पर एक बड़े जहाज को संदर्भित करता है जो छोटी नावों या पनडुब्बियों के लिए रसद सहायता, आवास और परिवहन प्रदान करता है।
- मदरशिप सैन्य, अन्वेषण और वाणिज्यिक गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण हैं।
- वे जिन छोटे जहाजों का समर्थन करते हैं उनके लिए रखरखाव, आपूर्ति और चालक दल के क्वार्टर जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट

- **गहरे पानी का बंदरगाह**
  - गहरे पानी का बंदरगाह एक मानव निर्मित संरचना है जिसका उपयोग तेल या प्राकृतिक गैस के परिवहन, भंडारण या संचालन के लिए बंदरगाहों या टर्मिनलों के रूप में किया जाता है।

- ये संरचनाएँ स्थिर या तैरती हुई हो सकती हैं, और राज्य की समुद्री सीमाओं से परे स्थित होती हैं।
- इनमें शामिल हो सकते हैं: पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन, सर्विस प्लेटफ़ॉर्म, मूरिंग बॉय।

ट्रांसशिपमेंट पोर्ट

- ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ माल को उतारकर दूसरे जहाज़ पर लादा जाता है ताकि वे अपने अंतिम गंतव्य तक अपनी यात्रा जारी रख सकें।

विझिनजाम बंदरगाह:

- **विझिनजाम बंदरगाह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।**
- **इसकी कुछ खास विशेषताएँ इस प्रकार हैं**:
  - अद्वितीय गहराई: विझिनजाम में 18 मीटर से ज़्यादा की प्राकृतिक गहराई है, जिसे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह बड़े जहाजों और मदर शिप को समायोजित करने में सक्षम है।
  - बहुमुखी उद्देश्य: बंदरगाह को कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, बहुउद्देश्यीय और ब्रेक-बल्क कार्गो को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से सिर्फ़ दस समुद्री मील की दूरी पर रणनीतिक रूप से स्थित है।

  - कम रखरखाव: बंदरगाह में न्यूनतम तटीय बहाव है और न्यूनतम रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकता है, जिससे परिचालन लागत कम हो जाती है।
  - प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: विझिनजाम का लक्ष्य कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे ट्रांसशिपमेंट हब के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। इससे विदेशी गंतव्यों से कंटेनर की आवाजाही की लागत कम होने की उम्मीद है।

- प्रारंभिक क्षमता: परियोजना के पहले चरण की क्षमता एक मिलियन TEU (बीस-फुट समतुल्य इकाई) है, जिसे 6.2 मिलियन TEU तक बढ़ाया जा सकता है।
- नौकरी के अवसर: इस परियोजना से 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने, औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- उन्नत बुनियादी ढांचा: विझिनजाम मेगामैक्स कंटेनर जहाजों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए अत्याधुनिक स्वचालन और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

Page 04 : GS 2 – International Relations : Important International Institutions

भारत ने म्यांमार में चल रहे संकट के बीच बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जो 2021 के तख्तापलट के बाद से सैन्य शासन और आंतरिक संघर्ष से चिह्नित है।

- इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को संबोधित करना था, जिसमें बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के सदस्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में भारत की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया गया।

समाचार के बारे में

- भारत ने बिम्सटेक समूह से अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा, संसाधन और प्रतिबद्धता लाने का आग्रह किया है।
- यह आह्वान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सात बिम्सटेक देशों: भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के अपने समकक्षों के साथ दो दिवसीय रिट्रीट के दौरान किया।
- पहले दिन की चर्चाओं में कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय सहयोग, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा, क्षमता निर्माण और सामाजिक आदान-प्रदान जैसे विषय शामिल थे।
- जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि बिम्सटेक भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति, 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'सागर' विजन के अनुरूप है। उन्होंने क्षेत्र की सहयोगात्मक क्षमता को साकार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का एक मजबूत संदेश दिया।

India hosts BIMSTEC Foreign Ministers amid raging Myanmar crisis

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

External Affairs Minister S. Jaishankar with the Foreign Ministers of other countries, in New Delhi on Thursday. ANI

The seven-member Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) should find solutions to the regional challenges within itself, External Affairs Minister S. Jaishankar said on Thursday, addressing the first BIMSTEC Foreign Ministers' retreat held here.

The meeting assumes significance as it is being held against the backdrop of major developments in Myanmar, where the military junta has been receiving battlefield setbacks against dozens of ethnic armed organisations (EAO).

"Global and regional developments also make it imperative that we find more solutions among ourselves. There are long-standing goals such as capacity-building and economic cooperation that have acquired a new urgency. And not least, a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbour higher aspirations," Mr. Jaishankar said.

This is the first time such an event was organised since the Charter of BIMSTEC came into effect on May 20, which marked a landmark development in the evolution of the organisation.

The developments in Myanmar pose a major issue before the BIMSTEC as instability there has put a question mark on a number of developmental and connectivity projects that were aimed at firming up ties among countries like Nepal, Bhutan, India, Bangladesh, Myanmar, and Thailand.

A day before the beginning of the meeting in Delhi, the military junta in Naypyidaw lost control of Naungcho, a major town along a trade highway to China in the northern Shan State, to the Ta'ang National Liberation Army.

Following his meeting with Myanmar Deputy Prime Minister and Foreign Minister U. Than Swe, Mr. Jaishankar said, "Our discussions focused on the connectivity projects, so crucial for the future of BIMSTEC. Also exchanged views on border stability and humanitarian assistance."

The External Affairs Ministry is yet to clarify if India will extend humanitarian assistance to the affected civilian population inside Myanmar. Till now, assistance has been limited to the displaced population and personnel of the Myanmar military who sought refuge in Mizoram.

India has maintained a cautious approach to the crisis in Myanmar where the EAOs have gained control over the trade routes and territories that are close to the international borders. "Countering transnational crimes including cyber, narcotics and illegal arms is a shared priority of all three nations. We will continue to cooperate in that regard," said Mr. Jaishankar after meeting with his Myanmarese and Thai counterparts.

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के बारे में:

- पूरा नाम: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल।
- स्थापना: 1997.
- सदस्य देश: 07 सदस्य

o पाँच दक्षिण एशिया से हैं -

1. बांग्लादेश
2. भूटान
3. भारत
4. नेपाल
5. श्रीलंका

o दो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं –

1. म्यांमार
2. थाईलैंड

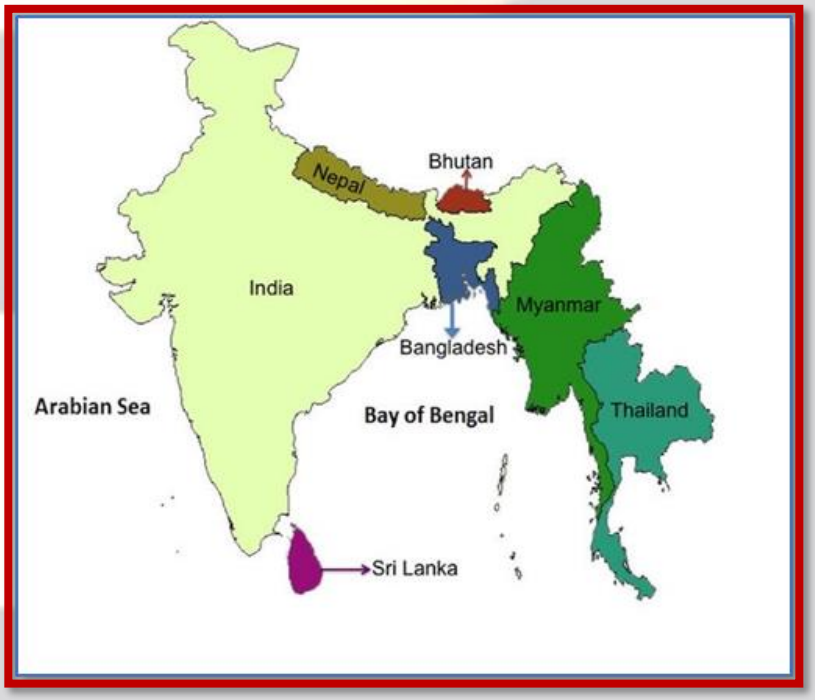

- उद्देश्य: क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना।
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद-रोधी, पर्यावरण, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क।
- **महत्व:**
  - o दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
  - o क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाता है।
  - o आर्थिक एकीकरण और सहयोग को सुगम बनाता है।

हाल ही में फोकस:

- o आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करना।
- o संपर्क और व्यापार बढ़ाना।
- o जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को संबोधित करना।
- रणनीतिक महत्व: भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ाता है और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करता है।

बिम्सटेक के सिद्धांत

- संप्रभु समानता
- क्षेत्रीय अखंडता

- राजनीतिक स्वतंत्रता
- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- पारस्परिक लाभ
- सदस्य देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक बनना।

बिम्सटेक के भीतर सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- व्यापार और निवेश
- प्रौद्योगिकी
- ऊर्जा
- परिवहन और संचार
- पर्यटन
- मत्स्य पालन
- कृषि
- सांस्कृतिक सहयोग
- पर्यावरण और आपदा प्रबंधन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- लोगों के बीच संपर्क
- गरीबी उन्मूलन
- आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध का मुकाबला
- जलवायु परिवर्तन

बिम्सटेक सार्क से किस प्रकार भिन्न है?

सार्क	बिम्सटेक
1. दक्षिण एशिया पर नज़र रखने वाला एक क्षेत्रीय संगठन	1. दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला अंतरक्षेत्रीय संगठन।
2. शीत युद्ध के दौर में 1985 में स्थापित।	2. शीत युद्ध के बाद 1997 में स्थापित।
3. सदस्य देश अविश्वास और संदेह से पीड़ित हैं।	3. सदस्य यथोचित मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं।
4. क्षेत्रीय राजनीति से पीड़ित हैं।	4. मुख्य उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना है।
5. असममित शक्ति संतुलन।	5. ब्लॉक में थाईलैंड और भारत की उपस्थिति से शक्ति संतुलन।
6. अंतर-क्षेत्रीय व्यापार केवल 5 प्रतिशत।	6. एक दशक में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

UPSC Mains Practice Question : (2015)

प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्राथमिक मंच के रूप में सार्क का स्थान लेने में बिम्सटेक की क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए? (200 शब्द/12.5m)

Centre begins efforts to implement Labour Codes

Mandaviya starts meeting representatives of trade unions seeking their cooperation; passed by both Houses, the Codes are not yet operational following the objections raised by the unions

A.M. Jigeesh
NEW DELHI

Almost a month after the swearing-in of a Narendra Modi government for the third term, the Union Labour Ministry has started efforts to implement the four Labour Codes, which were passed in Parliament in its second term in 2019 and 2020.

Union Labour Minister Mansukh Mandaviya and Union Labour Secretary Sumita Dawra have started meeting representatives of various trade unions seeking their cooperation to implement the controversial legislation.

Though passed in both Houses, the Codes are not yet operational owing to objections from trade unions. The Centre has been maintaining that some States are yet to frame the Rules for the Codes. Almost all the States have framed the Rules, and the Centre had said it is helping those States which could not draft the Rules to complete the process.

Strong opposition: Leaders of trade unions taking out a rally in Visakhapatnam opposing the Labour Codes. FILE PHOTO

The Central trade unions (CTUs) had opposed the implementation of the Codes citing that they will curtail trade union rights and social security measures for workers. Recently, the Citigroup had said in its employment analysis report on India that implementing the four Labour Codes could improve the "ease of doing business" scenario in the country.

Mr. Mandaviya met the representatives of Sangh Parivar-backed trade union Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) earlier this week, while Ms. Dawra met a delegation of the Self-Employed Women's Association (SEWA) on Wednesday. The leaders of both the trade unions told *The Hindu* that the Minister and the Secretary were keen to implement the four Labour Codes and sought their help.

BMS general secretary Ravindra Himte said in a release that it had demanded early implementation of the Code on Wages and the Code on Social Security. He, however, said the Industrial Relations Code and Occupational Safety and Health Code contain many anti-worker provisions which need to be changed.

Manali Shah, national secretary of SEWA, said the issue came up in the meeting and the Centre is keen to implement it. She, however, said SEWA is opposed to the four codes and the purpose of visit was mainly to raise the lack of social security measures for unorganised and migrant workers.

"The current social security legislation fails to adequately safeguard their rights as State policies and laws concerning social security offer no specific provisions for migrant workers. Both migrant workers crossing State borders and workers employed outside India face similar deprivation of protection under social security laws and schemes," a memorandum by SEWA said. Ten Central unions, including SEWA, had written to Mr. Mandaviya urging him to meet the trade unions on the issues of workers.

नये श्रम संहिता:

1. मजदूरी संहिता, 2019

- मजदूरी संहिता चार मौजूदा कानूनों को एकीकृत करती है: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।
- इसका उद्देश्य सभी रोजगार क्षेत्रों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करना, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना और मजदूरी और भर्ती में लैंगिक भेदभाव को रोकना है।

- कोड केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक फ्लोर वेज की अवधारणा को पेश करता है, जिसके नीचे न्यूनतम मजदूरी नहीं गिर सकती है।
- यह न्यूनतम मजदूरी की नियमित समीक्षा को अनिवार्य करता है, गैर-अनुपालन के लिए दंड निर्दिष्ट करता है, और मजदूरी निर्धारण और रोजगार वृद्धि के लिए सलाहकार बोर्ड स्थापित करता है।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- औद्योगिक संबंध संहिता ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।
- यह 100 से 300 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों से अनिवार्य स्थायी आदेशों के लिए उच्च सीमा का परिचय देता है।
- यह कोड कानूनी हड़तालों के लिए शर्तों को रेखांकित करता है, जिसके लिए 60-दिन का नोटिस आवश्यक है और न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान हड़तालों पर रोक है।
- यह 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में बंद करने, छंटनी या छंटनी के लिए सरकार की मंजूरी को अनिवार्य बनाता है।
- यह कोड नियोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए एक पुनः कौशल निधि का भी प्रस्ताव करता है।

3. सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020

- सामाजिक सुरक्षा पर कोड सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित नौ कानूनों को एकीकृत करता है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शामिल हैं।
- यह कर्मचारियों की परिभाषा का विस्तार करता है जिसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी, अंतरराज्यीय प्रवासी और बहुत कुछ शामिल हैं।
- यह कोड असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रस्ताव करता है और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करता है।
- यह पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी अवधि को कम करता है और केंद्र सरकार को महामारी जैसी आपात स्थितियों के दौरान पीएफ और ईएसआई योगदान में बदलाव करने की अनुमति देता है।

1. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

- यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थितियों से संबंधित 13 मौजूदा कानूनों को एकीकृत करती है, जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952।
- यह श्रमिकों की संख्या और बिजली के उपयोग के आधार पर एक कारखाने को फिर से परिभाषित करता है और श्रमिक सीमा के बिना खतरनाक स्थितियों तक विस्तारित होता है।
- यह संहिता आठ घंटे के कार्यदिवस की सीमा निर्धारित करती है, नियुक्ति पत्र अनिवार्य करती है और रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहमति सुनिश्चित करती है।
- यह अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी लाभ प्रदान करता है और यात्रा भत्ते पेश करता है लेकिन कार्यस्थलों के पास अस्थायी आवास प्रावधानों को हटा देता है।

PYQ UPSC Mains : (2015)

प्रश्न: 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और क्रांतिकारी श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तार्किक तर्कों के साथ चर्चा करें। (200 शब्द/12.5m)

Page : 09 GS 2 : Indian Polity – Federal structure

केंद्रीय बजट से पहले बिहार और आंध्र प्रदेश ने विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है, जिससे ऐसे आवंटन की निष्पक्षता और प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं।

- यह लेख वित्त आयोग के आवंटन के आधार, केंद्रीय हस्तांतरण पर राजनीतिक प्रभाव, राज्य की स्वायत्तता पर जीएसटी के प्रभाव और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर चर्चा करता है।

Should States get special packages outside Finance Commission allocations?

Arun Kumar

former professor of economics at Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Pinaki Chakraborty

fellow at the National Institute of Public Finance and Policy

PARLEY

In the run-up to the Union Budget, Nitish Kumar and Chandrababu Naidu, the Chief Ministers of Bihar and Andhra Pradesh, respectively, who are in a position to decide the political fate of the National Democratic Alliance (NDA) government at the Centre, have demanded special financial packages for their respective States. These packages could potentially increase the fiscal burden on the Centre and also on other States. Should States get special packages outside Finance Commission allocations? Arun Kumar and Pinaki Chakraborty discuss the question in a conversation moderated by **Prashanth Perumal J.** Edited excerpts:

What is the basis on which the Finance Commission determines how much money is allocated to different States? Do you think there is a case for States such as Bihar and Andhra Pradesh to receive funds beyond what is being allocated to them through the Finance Commission?

Arun Kumar: The last Finance Commission had said that States should be given 41% of the divisible tax pool. Within that 41%, what does each State get? For that, there is a formula which is based on income, population, the area, forests and ecology, demographic performance, etc. If we look at the 15th Finance Commission, Uttar Pradesh and Bihar in 2020-21 got the largest amount of funds and Karnataka and Kerala saw the largest decrease in the share of funds. So, in other words, the criteria that the Finance Commission use can change the amount of funds going to different States.

Apart from the Finance Commission devolution, which is statutory, how the remaining amount is spent is determined by the Centre, and that is where political determination comes in; States which are closer to the Centre get more funds. Andhra Pradesh and Bihar are part of the NDA and their support is critical to the government. So, I suppose they will be able to draw more funds.

Pinaki Chakraborty: As far as transfers by the Finance Commission are concerned, the scope for discretion is very limited. Other Central transfers are also determined by certain principles of distribution across States. We can debate those schemes, their designs, etc., but those are certainly not arbitrary. So, that is the overall framework of transfer.

When there is a specific demand by a specific State for higher transfer of resources for a specific purpose, constitutionally there is no bar on giving more money to that State. But generally, it is not done on a large scale because if that becomes the order of the day, fiscal prudence becomes a casualty. So, the possibility of large-scale discretionary transfers is limited.

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and his Ministers meet Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi. ANI

Andhra Pradesh had a major fiscal shock after bifurcation and that was partly offset when the Finance Commission provided revenue deficit grants. Why Andhra Pradesh still requires Central support requires a careful analysis. But Bihar's case is different. Bihar's per capita development spending is less than 60% of the all-States average. So, Bihar has a serious fiscal capacity problem. This has not been fully offset by Finance Commission transfers or additional Central transfers.

What is the relationship between additional Central aid and the economic performance of States? Does the allocation of more funds to a certain State boost its long-term economic performance?

AK: There are several factors. The public and private sector together determine the development of a State. But with all other things remaining the same, higher allocations from the Centre to a State would boost the growth of that State. The major problem is the issue of governance – how well is the State governed and how well are the resources that are received by the State spent on development. Poorer States tend to have a greater amount of leakage of funds. But more importantly, the credit-deposit ratio of Bihar is much lower than the all-India average. This means that a large part of Bihar's savings is leaking out of the State to other States. So, even if you allocate more funds from the Centre, the leakage may be greater than the additional resources they get.

PC: If we look at revenue sharing, the part which is not within the purview of the Finance Commission has increased and that is also why we see an increase in centrally sponsored schemes. So, there is a larger political economy question which needs to be discussed. When we talk about resource flow to the richer regions of the country, it is much, much higher than the resource flow to the poorer regions of the country. This cannot be explained by governance differences alone. If there is a problem of resources, where a State is spending only 50% of the all-States average as public expenditure, this can't just be explained by differences in governance and quality of expenditure. We need to channelise more resources for higher capital investment in the poorer regions of the country for balanced regional development.

> When there is a specific demand by a specific State for higher transfer of resources for a specific purpose, constitutionally there is no bar on giving more money to that State. But generally, it is not done on a large scale because if that becomes the order of the day, fiscal prudence becomes a casualty.
>
> **PINAKI CHAKRABORTY**

By taking away from States the power to tax their citizens, has GST (Goods and Services Tax) exacerbated competition among States to get more funds from the Centre? We also see that there is no longer tax competition between the States after the centralisation of taxation under GST. Is that good or bad?

PC: Because of this race to the bottom among States after liberalisation, States themselves decided to introduce a floor rate for sales tax in 2000-01. GST has resulted in significant loss of fiscal autonomy for the States because the States used to get two-thirds of their revenue from VAT (Value Added Tax). States also cannot set the tax rate, which is a key component of fiscal autonomy. So, there needs to be some flexibility somewhere within the GST structure so that the States don't feel that they are not able to tax to provide public services. We should discuss what kind of GST flexibility can bring an element of fiscal autonomy without compromising on the fiscal harmonisation across States.

AK: GST has damaged federalism because States are very diverse. The problems of Assam are not the same as those of Gujarat. The States have different sources of revenue and expenditure requirements. What we require in India, a very diverse country, is greater decentralisation and it is the only answer to the problems we face. Across the country, greater centralisation that has come in with GST is perhaps not good. What has happened with GST is that it has benefited the organised sector at the expense of the unorganised sector. Even though the unorganised sector has been kept out of GST, the organised sector is the one that has been rising and that is why you see that GST collections have been rising post-pandemic. This decline in the unorganised sector, which is concentrated in the backward States, means that backward States will under-perform. So, GST needs reform. I recommend that the tax be collected at the last point instead of at each intermediate stage, which creates a lot of complications. There is a lot of corruption associated with input credit, there are fake companies, etc. Trucks are stopped by the police and implementing agencies and money is extorted. So, the black economy continues to flourish. We need to collect a lot more from direct taxes and reduce collections from indirect taxes, which are having a negative effect on the backward States as compared to the advanced ones.

We see that States with political weight usually get more funds from the Centre at the cost of other States. So, how fair and objective is Central aid to states? Is there any way to stop politics from influencing how Central funds are allocated to the States?

AK: Seventy per cent of the funds that the Centre spends is non-discretionary. But the remaining 30% are discretionary. The allocation of funds by the Centre to the States depends on politics or political considerations. Greater decentralisation and greater autonomy to the States is the only way to change that.

PC: The real problem of discretion is that if the Centre decides to introduce a new scheme and says that 60% of it will be funded by the Centre and 40% will be funded by the States, it is actually tying up State resources. So, we need deliberations at the national level involving all the stakeholders to understand which schemes the Centre should intervene in, and which it should leave to the States. The 14th Finance Commission had given an important framework for this, recommending that the Centre should intervene in schemes where there are large externalities or national priorities involved. But if the Centre wants to run a primary health centre in a remote village, that is not going to help. So, I think this discussion about political alignment is only of marginal importance. What is really discretionary is the Centre's complete autonomy in deciding which sector and where to spend.

To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

विशेष वित्तीय पैकेज की मांग

- केंद्रीय बजट से पहले, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है।
- इन मांगों से केंद्र और अन्य राज्यों पर राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है।
- इस बात पर बहस चल रही है कि राज्यों को वित्त आयोग के आवंटन के बाहर विशेष पैकेज मिलना चाहिए या नहीं।

वित्त आयोग के आवंटन का आधार

- वित्त आयोग आय, जनसंख्या, क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी तथा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर आवंटन निर्धारित करता है।
- 2020-21 में, उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई, जबकि कर्नाटक और केरल में सबसे अधिक कमी देखी गई।
- वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड राज्यों के बीच धन के वितरण को बदल सकते हैं।

अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का औचित्य

- आंध्र प्रदेश को विभाजन के बाद राजकोषीय झटका लगा, जिसकी आंशिक भरपाई राजस्व घाटा अनुदानों से हुई।
- बिहार को गंभीर राजकोषीय क्षमता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रति व्यक्ति विकास व्यय सभी राज्यों के औसत का 60% से भी कम है।
- बिहार के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता ने इसकी राजकोषीय चुनौतियों की पूरी तरह से भरपाई नहीं की है।

जीएसटी और संघवाद

- जीएसटी ने विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं के कारण संघवाद को नुकसान पहुंचाया है।
- राज्यों की विविध समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है।
- जीएसटी से संगठित क्षेत्र को अधिक लाभ होता है, जबकि पिछड़े राज्यों में केंद्रित असंगठित क्षेत्र को नुकसान होता है।
- जीएसटी सुधार की आवश्यकता है, जैसे जटिलताओं और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अंतिम बिंदु पर कर एकत्र करना।

केंद्रीय सहायता पर राजनीतिक प्रभाव

- केंद्रीय व्यय का सत्तर प्रतिशत गैर-विवेकाधीन है, लेकिन शेष 30 प्रतिशत विवेकाधीन है।
- राजनीतिक विचार विवेकाधीन निधियों के आवंटन को प्रभावित करते हैं।
- धन आवंटन पर राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों को अधिक विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की आवश्यकता है।

केंद्रीय योजनाओं पर विचार-विमर्श की आवश्यकता

- नई योजनाएं शुरू करने का केंद्र का निर्णय राज्य के संसाधनों को बांध सकता है।
- केंद्र को किन योजनाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और किन योजनाओं को राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
- 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र को बड़ी बाह्यताओं या राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

PYQ UPSC Mains : (2015)

प्रश्न: हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर अधिक जोर दिया गया है। मौजूदा ढांचे में कमियों को उजागर करें और बताएं कि सहकारी संघवाद किस हद तक इन कमियों को दूर करेगा। (200 शब्द/12.5m)

Term In News : Heat Dome

पूरा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है, जो पिछले सप्ताह से शुरू हुई है। चिलचिलाती गर्मी और शुष्क परिस्थितियाँ कैलिफ़ोर्निया पर केंद्रित हीट डोम का परिणाम हैं।

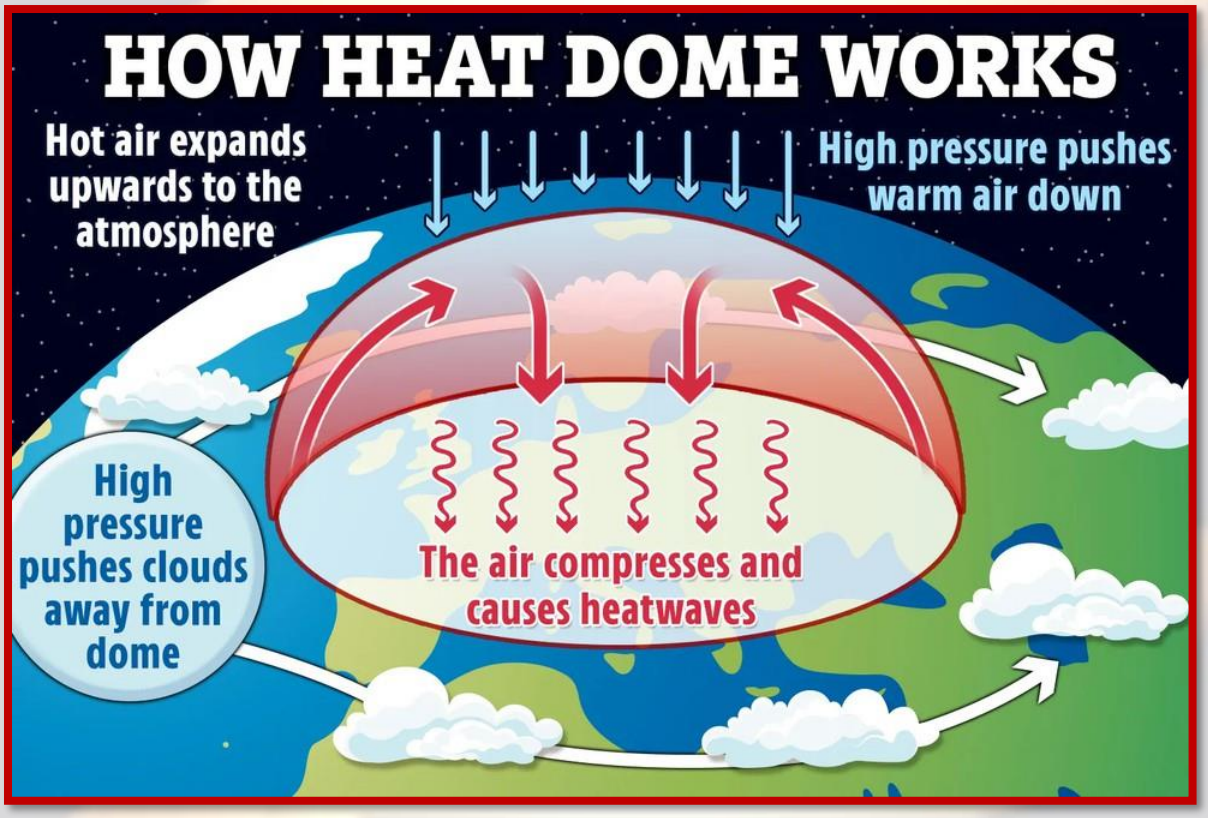

हीट डोम के बारे में:

- यह एक मौसमी घटना है, जिसमें वायुमंडल में मौजूद उच्च दबाव प्रणाली लंबे समय तक गर्म हवा को बर्तन के ढक्कन की तरह फंसाए रखती है।
- चूंकि गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए आसमान साफ रहता है - विपरीत परिस्थितियों में बादल बनते हैं, क्योंकि ऊपर उठती गर्म हवा ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद पानी संघनित हो जाता है।
- उच्च दबाव प्रणाली के कारण धरती पर अधिक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी अधिक गर्म होती है और सूखती है। इससे वाष्पीकरण कम होता है और बारिश के बादल बनने की संभावना कम हो जाती है।
- हीट डोम जितना अधिक समय तक एक स्थान पर रहता है, हर गुजरते दिन के साथ परिस्थितियां उतनी ही गर्म होती जाती हैं। जबकि हीट डोम गर्मी की लहरें पैदा करते हैं, वे हीट डोम के बिना भी हो सकते हैं।

जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है?

- हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से जुड़ा हुआ है - वायुमंडल में तेजी से चलने वाली हवा का एक क्षेत्र जो आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर मौसम प्रणालियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
- आमतौर पर, जेट स्ट्रीम में लहर जैसा पैटर्न होता है जो उत्तर से दक्षिण और फिर उत्तर की ओर बढ़ता रहता है।

- जब ये लहरें बड़ी और लम्बी हो जाती हैं, तो वे धीरे-धीरे चलती हैं और कभी-कभी स्थिर हो सकती हैं। यह तब होता है जब एक उच्च दबाव प्रणाली जगह में फंस जाती है और हीट डोम की घटना होती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में देखे गए "हीट डोम" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तब होता है जब कम दबाव का क्षेत्र किसी क्षेत्र पर ठंडी हवा को फंसा लेता है।
2. हीट डोम का निर्माण जेट स्ट्रीम के व्यवहार से संबंधित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b)

Page : 08 संपादकीय विश्लेषण

Breaking the taboo around men's reproductive health

World Population Day (July 11) has passed. As we grapple with the multifaceted challenges of global population dynamics, it is crucial to turn the spotlight on a subject often overshadowed in discussions on reproductive health: male infertility. Male infertility remains a stigmatised issue, shrouded in silence and with misconceptions. This neglect exacerbates the emotional and psychological toll on those who are affected and impedes progress towards effective solutions.

In 2004, the World Health Organization (WHO) estimated that globally, between 60 million to 80 million couples struggle with infertility. However, the exact prevalence of infertility in India remains unspecified according to the Indian Council of Medical Research (ICMR) National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of Assisted Reproductive Technologies (ART) Clinics (2005). Extrapolating from WHO's data, it is suggested that approximately 13 million to 19 million Indian couples may face infertility issues. This incidence is only set to increase, shaped by factors such as environmental pollution and adverse lifestyle shifts. Male infertility accounts for 50% of all infertility cases in the country. Thus, it is important to shed light on male infertility, understand its causes, and identify solutions to aid the millions of affected couples.

Dr. Priyanka Parte

Scientist F, Indian Council of Medical Research, National Institute for Research in Reproductive and Child Health (ICMR-NIRRCH)

It is time to recognise and address the subject of male reproductive health issues in India

Understanding the subject

Male infertility is not a standard experience. Its causes, and therefore its forms, vary. Infertility in men can manifest as an absence of sperm, low sperm count, low sperm motility, or both. The form of infertility can depend on various factors that include stress, hormonal imbalance, genetic, anatomical and epigenetic factors, or even exposure to certain infections. External factors such as environmental pollution and an indiscriminate use of pesticides on crops, plastics, and plasticisers can also affect fertility and influence the epigenetic makeup. Lifestyle factors such as diets, sleep patterns, work schedules, and consumption of alcohol and tobacco also play a major role. Adding to these factors is a growing preference for late marriages among youth, creating challenges due to declining sperm quality with age.

While the challenges listed above may appear daunting, male reproductive health can be safeguarded through various lifestyle interventions. First and foremost, it is imperative to be aware of reproductive and sexual health and the factors that influence it, particularly during the formative period from secondary school to junior college. Here, parents, particularly fathers, play a critical role and must educate their sons on the issue. At an individual level, young men should proactively adopt good lifestyle practices, ensuring healthy eating, regular sleep patterns, and eliminating the consumption of alcohol, tobacco, and other intoxicants. While mobile phones and laptops have become occupational hazards in most fields, their excessive usage, in proximity to the body, should be avoided. Stress is a major deterrent to reproductive health, and regular exercise, yoga, and meditation can go a long way in reducing its adverse effects on well-being. Couples together must also adopt such healthy lifestyle practices to safeguard their reproductive health and enhance their well-being.

Treatment options

While lifestyle interventions play a critical preventative role, it is also important to discuss treatments available for those grappling with infertility. Treatment options are varied, and their efficacy depends on the cause and the form of infertility. It is important to seek help from a medical professional to identify and treat the issue. The medical professional will guide the person to undergo a routine semen analysis, conducted after a two to seven day period of sexual abstinence (WHO recommended). If the issue is physical or anatomical such as blocked sperm flow, undescended testicles, or an abnormal urethral opening, these can be fixed with surgery. If the issue is an absence of sperm, then treatments such as intra cytoplasmic sperm injection (ICSI) should be undertaken. Alternatively, couples facing this issue can also opt for donor sperm insemination or adoption. In cases where the sperm count is very low, there is a chance for the couple to conceive naturally if sperm motility is very good. However, if both sperm count and motility are low, intrauterine insemination (IUI), in vitro fertilisation (IVF), or ICSI are advocated. In cases of male infertility due to gene mutation/s, genetic counselling is of utmost importance before seeking the support of assisted reproductive technologies such as IVF and ICSI.

With millions of couples in India facing infertility issues, there is an urgent need for open and informed discussions on reproductive health. It is time to recognise and address the significant issue of male reproductive health. Awareness building, sex education, and timely medical interventions are key to supporting couples on their journey to parenthood. By breaking the taboo surrounding male infertility and fostering a more informed and supportive environment, we can help many couples realise their dream of having children.

GS Paper 02 : सामाजिक न्याय – स्वास्थ्य

Practice Question : भारत में पुरुष बांझपन की चुनौतियों और निहितार्थों पर चर्चा करें। जागरूकता और जीवनशैली हस्तक्षेप इस मुद्दे को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं? पुरुष बांझपन से जुड़े कलंक को खत्म करने के उपाय सुझाएँ। (150 w/10m)

संदर्भ

- लेख में पुरुष बांझपन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की गई है, जो प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है।

- व्यापकता, कारणों और उपचार विकल्पों पर प्रकाश डालते हुए, यह प्रभावित जोड़ों का समर्थन करने और उनके माता-पिता बनने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जागरूकता, जीवनशैली में हस्तक्षेप और खुली चर्चा के महत्व को रेखांकित करता है।

प्रजनन स्वास्थ्य

- विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) बीत चुका है। जैसा कि हम वैश्विक जनसंख्या गतिशीलता की बहुमुखी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चाओं में अक्सर छाया रहने वाले विषय पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है: पुरुष बांझपन।
- पुरुष बांझपन एक कलंकित मुद्दा बना हुआ है, जो चुप्पी और गलत धारणाओं में घिरा हुआ है।
- यह उपेक्षा उन लोगों पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ बढ़ाती है जो इससे प्रभावित होते हैं और प्रभावी समाधानों की दिशा में प्रगति को बाधित करते हैं।
- 2004 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान लगाया कि वैश्विक स्तर पर, 60 मिलियन से 80 मिलियन जोड़े बांझपन से जूझ रहे हैं।
- WHO के आंकड़ों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि लगभग 13 मिलियन से 19 मिलियन भारतीय जोड़े बांझपन की समस्या का सामना कर सकते हैं।
- पर्यावरण प्रदूषण और प्रतिकूल जीवनशैली में बदलाव जैसे कारकों के कारण यह समस्या और भी बढ़ सकती है।
- देश में बांझपन के सभी मामलों में से 50% मामलों में पुरुष बांझपन का योगदान है। इसलिए, पुरुष बांझपन पर प्रकाश डालना, इसके कारणों को समझना और लाखों प्रभावित जोड़ों की सहायता के लिए समाधान की पहचान करना महत्वपूर्ण है।

विषय को समझना

- पुरुष बांझपन एक सामान्य अनुभव नहीं है। इसके कारण और इसलिए इसके रूप अलग-अलग होते हैं। पुरुषों में बांझपन शुक्राणु की अनुपस्थिति, शुक्राणुओं की कम संख्या, शुक्राणुओं की कम गतिशीलता या दोनों के रूप में प्रकट हो सकता है।
- बांझपन का रूप विभिन्न कारकों पर निर्भर हो सकता है जिसमें तनाव, हार्मोनल असंतुलन, आनुवंशिक, शारीरिक और एपिजेनेटिक कारक या यहां तक कि कुछ संक्रमणों के संपर्क में आना शामिल है।
- पर्यावरण प्रदूषण और फसलों, प्लास्टिक और प्लास्टिसाइज़र पर कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग जैसे बाहरी कारक भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और एपिजेनेटिक मेकअप को प्रभावित कर सकते हैं।
- जीवनशैली कारक जैसे आहार, नींद के पैटर्न, कार्य कार्यक्रम और शराब और तंबाकू का सेवन भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- इन कारकों में युवाओं में देर से विवाह करने की बढ़ती प्राथमिकता भी शामिल है, जो उम्र के साथ शुक्राणु की गुणवत्ता में गिरावट के कारण चुनौतियां पैदा करती है।
- जबकि ऊपर सूचीबद्ध चुनौतियाँ कठिन लग सकती हैं, पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को विभिन्न जीवनशैली हस्तक्षेपों के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।
- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, खासकर माध्यमिक विद्यालय से जूनियर कॉलेज तक की प्रारंभिक अवधि के दौरान।
- यहां, माता-पिता, विशेष रूप से पिता, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने बेटों को इस मुद्दे पर शिक्षित करना चाहिए।

- व्यक्तिगत स्तर पर, युवा पुरुषों को स्वस्थ भोजन, नियमित नींद के पैटर्न को सुनिश्चित करते हुए, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को खत्म करते हुए, अच्छी जीवनशैली की आदतों को अपनाना चाहिए।
- जबकि मोबाइल फोन और लैपटॉप अधिकांश क्षेत्रों में व्यावसायिक खतरे बन गए हैं, शरीर के नज़दीक होने पर इनका अत्यधिक उपयोग करने से बचना चाहिए।
- तनाव प्रजनन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी बाधा है, और नियमित व्यायाम, योग और ध्यान स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।
- दंपत्तियों को भी अपने प्रजनन स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ऐसी स्वस्थ जीवनशैली की आदतों को अपनाना चाहिए।

उपचार के विकल्प

- जबकि जीवनशैली में हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण निवारक भूमिका निभाता है, बांझपन से जूझ रहे लोगों के लिए उपलब्ध उपचारों पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है।
- उपचार के विकल्प विविध हैं, और उनकी प्रभावशीलता बांझपन के कारण और रूप पर निर्भर करती है।
- समस्या की पहचान करने और उसका इलाज करने के लिए किसी चिकित्सा पेशेवर से मदद लेना महत्वपूर्ण है।
- चिकित्सा पेशेवर व्यक्ति को नियमित वीर्य विश्लेषण से गुजरने के लिए मार्गदर्शन करेगा, जो दो से सात दिनों की यौन संयम अवधि (डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित) के बाद किया जाता है।
- यदि समस्या शारीरिक या शारीरिक है जैसे कि अवरुद्ध शुक्राणु प्रवाह, अंडकोष का उतरना या असामान्य मूत्रमार्ग का उद्घाटन, तो इन्हें सर्जरी से ठीक किया जा सकता है।
- यदि समस्या शुक्राणु की अनुपस्थिति है, तो इंट्रा साइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) जैसे उपचार किए जाने चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से, इस समस्या का सामना करने वाले जोड़े डोनर स्पर्म इनसेमिनेशन या गोद लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
- ऐसे मामलों में जहां शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, अगर शुक्राणु की गतिशीलता बहुत अच्छी है तो दंपत्ति के लिए स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने की संभावना है।
- हालांकि, अगर शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता दोनों कम हैं, तो अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान (आईयूआई), इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), या आईसीएसआई की सलाह दी जाती है।
- जीन उत्परिवर्तन/उत्परिवर्तनों के कारण पुरुष बांझपन के मामलों में, आईवीएफ और आईसीएसआई जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों का सहारा लेने से पहले आनुवंशिक परामर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- प्रजनन स्वास्थ्य पर खुली और सूचित चर्चा की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से पुरुष बांझपन के लिए।
- जागरूकता निर्माण, यौन शिक्षा और समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप माता-पिता बनने की उनकी यात्रा में जोड़ों का समर्थन कर सकते हैं।
- पुरुष बांझपन से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ना और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना कई जोड़ों को बच्चे पैदा करने के अपने सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है।

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विकास

- प्रारंभिक शुरुआत और क्लिनिक-आधारित दृष्टिकोण
  - o भारत 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाले पहले देशों में से एक था।
  - o प्रारंभ में, कार्यक्रम मुख्य रूप से क्लिनिक-आधारित था, जो स्थापित स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से गर्भनिरोधक सेवाएँ प्रदान करने पर केंद्रित था।
  - o इस चरण ने जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के नेतृत्व वाले प्रयासों की शुरुआत की।

लक्ष्य-उन्मुख तरीकों की ओर बदलाव

- o बाद के दशकों में, कार्यक्रम अधिक आक्रामक, लक्ष्य-उन्मुख तरीकों की ओर बढ़ गया।
- o सरकार ने गर्भनिरोधक स्वीकृति और नसबंदी के लिए विशिष्ट संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए, जिसका उद्देश्य जन्म दर को तेजी से कम करना था।
- o जबकि यह दृष्टिकोण परिवार नियोजन विधियों को अपनाने में सफल रहा, लेकिन इसे अपनी जबरदस्ती की रणनीति और स्वैच्छिक भागीदारी और सूचित विकल्प पर जोर न देने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा।

स्वैच्छिक अपनाना और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण

- o लक्ष्य-उन्मुख चरण की आलोचनाओं का जवाब देते हुए, भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम ने गर्भनिरोधक विधियों को स्वैच्छिक रूप से अपनाने पर जोर देना शुरू किया।
- o अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव ने व्यक्तियों के प्रजनन अधिकारों का सम्मान करने और गर्भनिरोधक विकल्पों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- o इस परिवर्तन ने सूचित विकल्प के महत्व को रेखांकित किया और महिलाओं और जोड़ों को उनके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा।

स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकरण

- o 2012 में, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) दृष्टिकोण पेश किया गया, जिसमें परिवार नियोजन को अन्य स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया गया।
- o इस समग्र दृष्टिकोण ने माना कि परिवार नियोजन व्यापक स्वास्थ्य परिणामों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।
- o परिवार नियोजन सेवाओं के साथ मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों को मिलाकर, कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी सहक्रियाएँ बनाना था जो समग्र स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाएँ और मातृ और बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करें।

2020 और 2030 में परिवार नियोजन (एफपी) अभियान

- o वैश्विक परिवार नियोजन पहलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एफपी 2020 और उसके बाद के एफपी 2030 अभियानों में इसकी भागीदारी के साथ और भी मजबूत हुई।
- o इन पहलों का ध्यान परिवार नियोजन सूचना और सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने पर था, खास तौर पर हाशिए पर रहने वाली और वंचित आबादी के लिए।
- o इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ अपने प्रजनन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें और गर्भनिरोधक विधियों की पूरी श्रृंखला तक उनकी पहुँच हो।

गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार और गुणवत्ता आश्वासन

o भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम के विकास ने आबादी के लिए उपलब्ध गर्भनिरोधक विकल्पों की सीमा में भी विस्तार देखा है।
o कंडोम, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी), मौखिक गोलियाँ और इंजेक्शन वाले गर्भनिरोधक जैसे आधुनिक प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।
o पायलट कार्यक्रमों में विकल्पों को और व्यापक बनाने के लिए सबडर्मल इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी शुरू किए जा रहे हैं।
o इन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन गई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने और मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को लागू करने के प्रयास शामिल हैं।

विकास और वृद्धि पर परिवार नियोजन का प्रभाव

- किसी देश की वृद्धि और विकास जनसंख्या की गतिशीलता से जुड़े होते हैं।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तरों को बनाए रखना और प्राप्त करना है।
- भारत पहले ही राष्ट्रीय स्तर (TFR 2.0) पर प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुका है, और NFHS-5 (2019-21) के अनुसार 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
- परिवार नियोजन को वैश्विक स्तर पर मातृ और शिशु रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के रूप में भी मान्यता दी गई है।

मिशन परिवार विकास, परिवार नियोजन सेवाओं में इसका विस्तार और नवाचार

- **मिशन परिवार विकास (MPV)**
  o यह सरकार के प्रमुख परिवार नियोजन कार्यक्रमों में से एक है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।
  o इसका उद्देश्य सात राज्यों (बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले जिलों में गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है।
  o इस दृष्टिकोण में गर्भनिरोधकों तक युवा महिलाओं की सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए सारथी वाहन (पहियों पर जागरूकता) और सास बहू सम्मेलन जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और नवविवाहित जोड़ों को जिम्मेदार माता-पिता की प्रथाओं के बारे में जागरूक करने के लिए नई पहल किट प्रदान की जाती है।

परिवार नियोजन सेवाओं में विस्तार और नवाचार

o एमपीवी जिलों में आधुनिक गर्भनिरोधकों के उपयोग में सुधार के कारण सरकार ने 2021 में इस कार्यक्रम को सात राज्यों के सभी जिलों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ाने का निर्णय लिया।
o वर्तमान में, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती आधुनिक गर्भनिरोधक प्रदान करता है, जिनमें कंडोम, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण, मौखिक गोलियाँ, एमपीए इंजेक्शन और बहुत कुछ शामिल हैं।
o 10 राज्यों में, जिनमें से प्रत्येक में दो जिले शामिल हैं, सबडर्मल इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन रोलआउट चरण में हैं, और आगे विस्तार की योजना है।

आगे की राह: बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता

- भारत में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया जा रहा है, जिसका विषय है "माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल" भारत राज्य समकक्षों के प्रयासों और हमारे स्वास्थ्य कार्यबल के अथक समर्पण को स्वीकार करता है।
- इसमें एएनएम, आशा और अन्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं जो महत्वपूर्ण सेवाएँ देने में सबसे आगे हैं।
- सरकार को पहुँच से संबंधित बाधाओं, गर्भनिरोधक विधियों के बारे में गलत धारणाओं, जागरूकता की कमी, भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों और प्रतिबंधात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए।
- परिवार नियोजन सेवा वितरण में सुधार के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है, जिसमें अस्थायी और दीर्घकालिक गर्भनिरोधक विधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है।

मानचित्रण : गंगा नदी प्रणाली

उत्पत्ति	गंगोत्री ग्लेशियर
लंबाई	2,525 किमी
जलग्रहण क्षेत्र	8.61 लाख वर्ग किमी

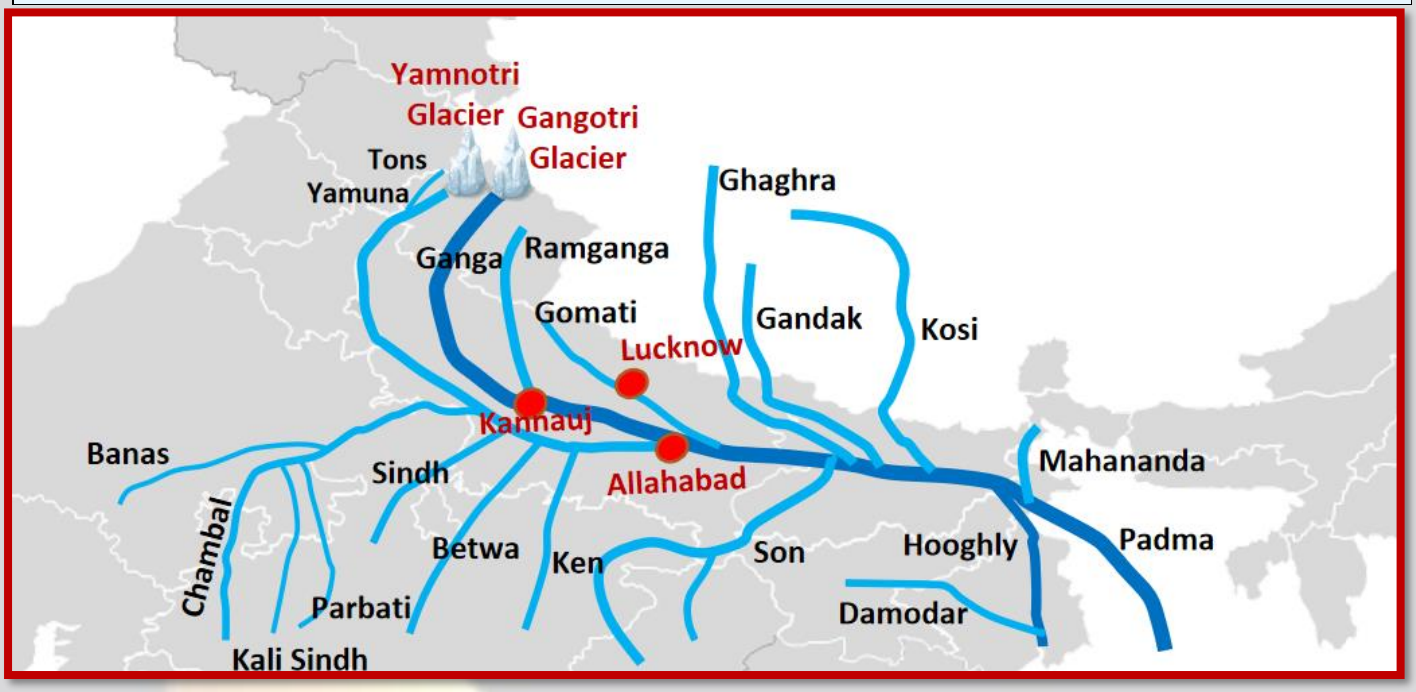

नदी का उद्गम और प्रवाह

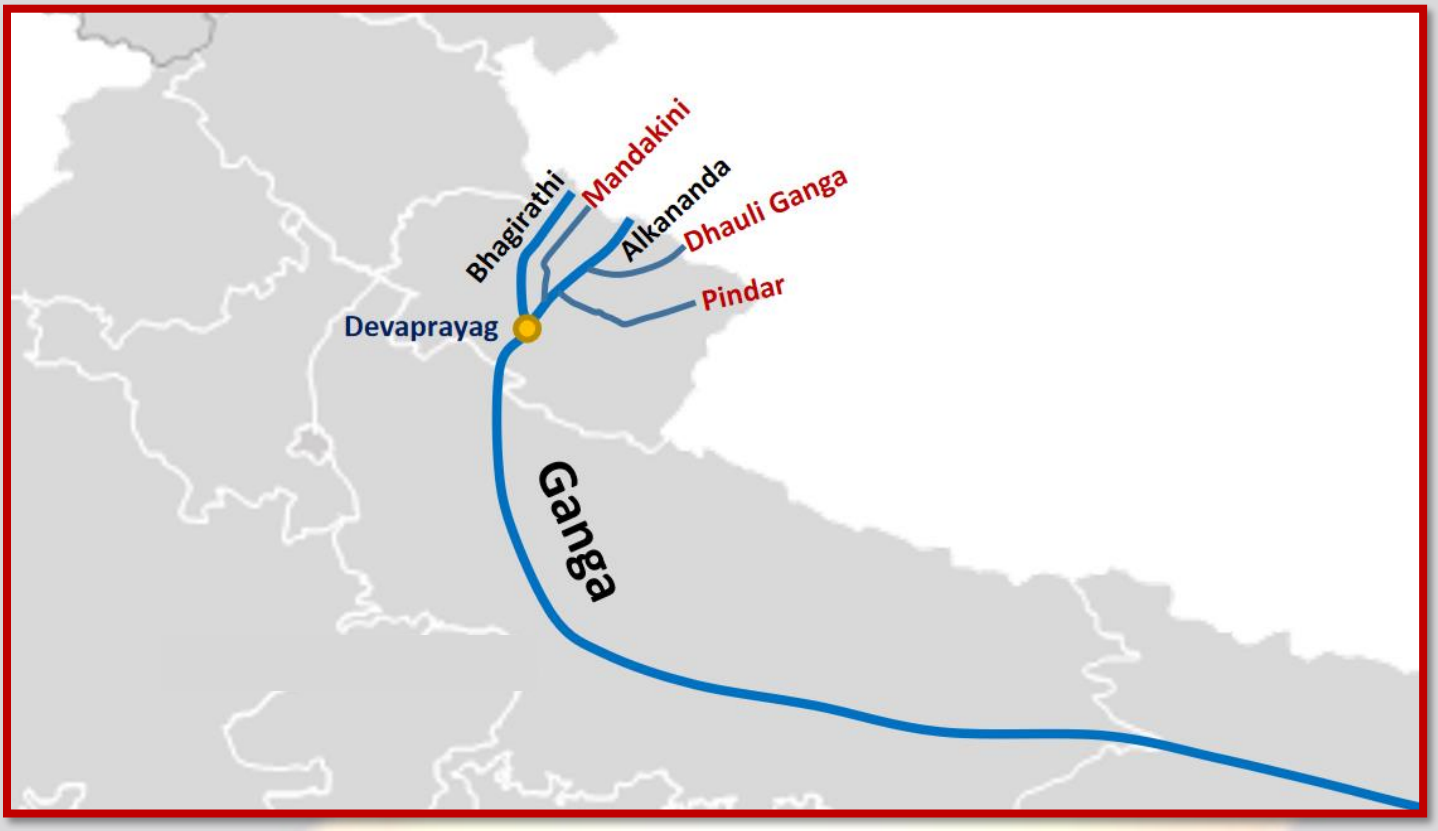

उद्गम

- गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है।
- अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। लेकिन देवप्रयाग पहुंचने से पहले धौलीगंगा, पिंडर और मंदाकिनी नदियां अलकनंदा में मिल जाती हैं।
- देवप्रयाग के नीचे भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त जल गंगा के नाम से बहता है।

मैदानी इलाकों में गंगा का प्रवाह

- गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
- यहां से यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में 770 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद पहुंचती है, जहां यमुना इसमें मिलती है। इसके बाद यह बिहार के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है।

- राजमहल पहाड़ियों के पास फरक्का के दक्षिण-पूर्व और दक्षिण की ओर मुड़ने पर यह गंगा के नाम से जानी जाती है। यह बांग्लादेश में पद्मा और पश्चिम बंगाल में हुगली में विभाजित हो जाती है।
- बांग्लादेश में 220 किलोमीटर आगे जाने के बाद, ब्रह्मपुत्र (या यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है) ग्वालुंडो में इससे मिलती है।
- आगे, यह मेघना से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा में सुंदरबन नामक घने जंगलों से ढके वितरिकाओं और द्वीपों का जाल शामिल है।

गंगा की सहायक नदियाँ

गंगा में बायीं और दायीं ओर से कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। उनमें से ज़्यादातर का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, हालाँकि कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं।

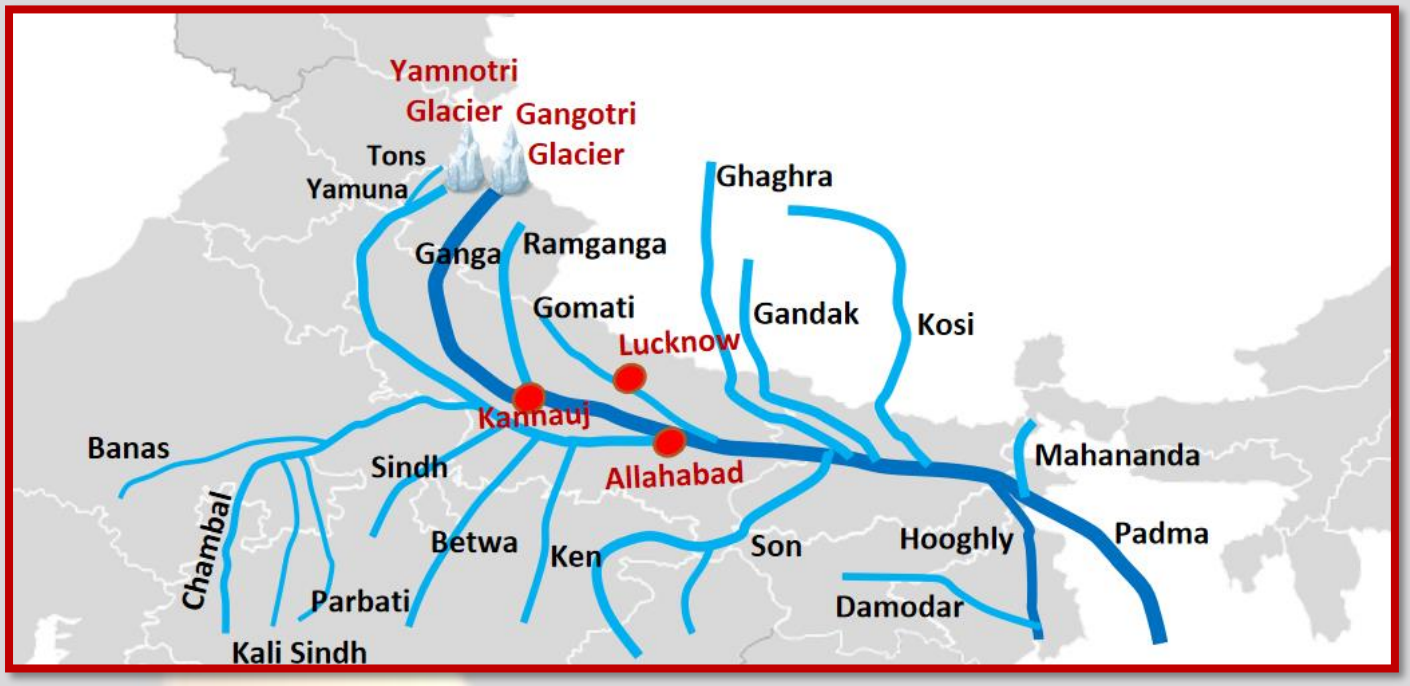

गंगा की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियाँ

गंगा की दाहिनी तट की सहायक नदियों में यमुना, सोन और दामोदर शामिल हैं।

1. यमुना

उद्गम	बंदरपंच चोटी पर यमनोत्री ग्लेशियर (उत्तराखंड)
लंबाई	1380 किमी
महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ	- हिमालय में उत्पत्ति: टन - प्रायद्वीपीय पठार में उत्पत्ति: चंबल, सिंध, बेतवा और केन
गंगा में मिलती हैं	इलाहाबाद

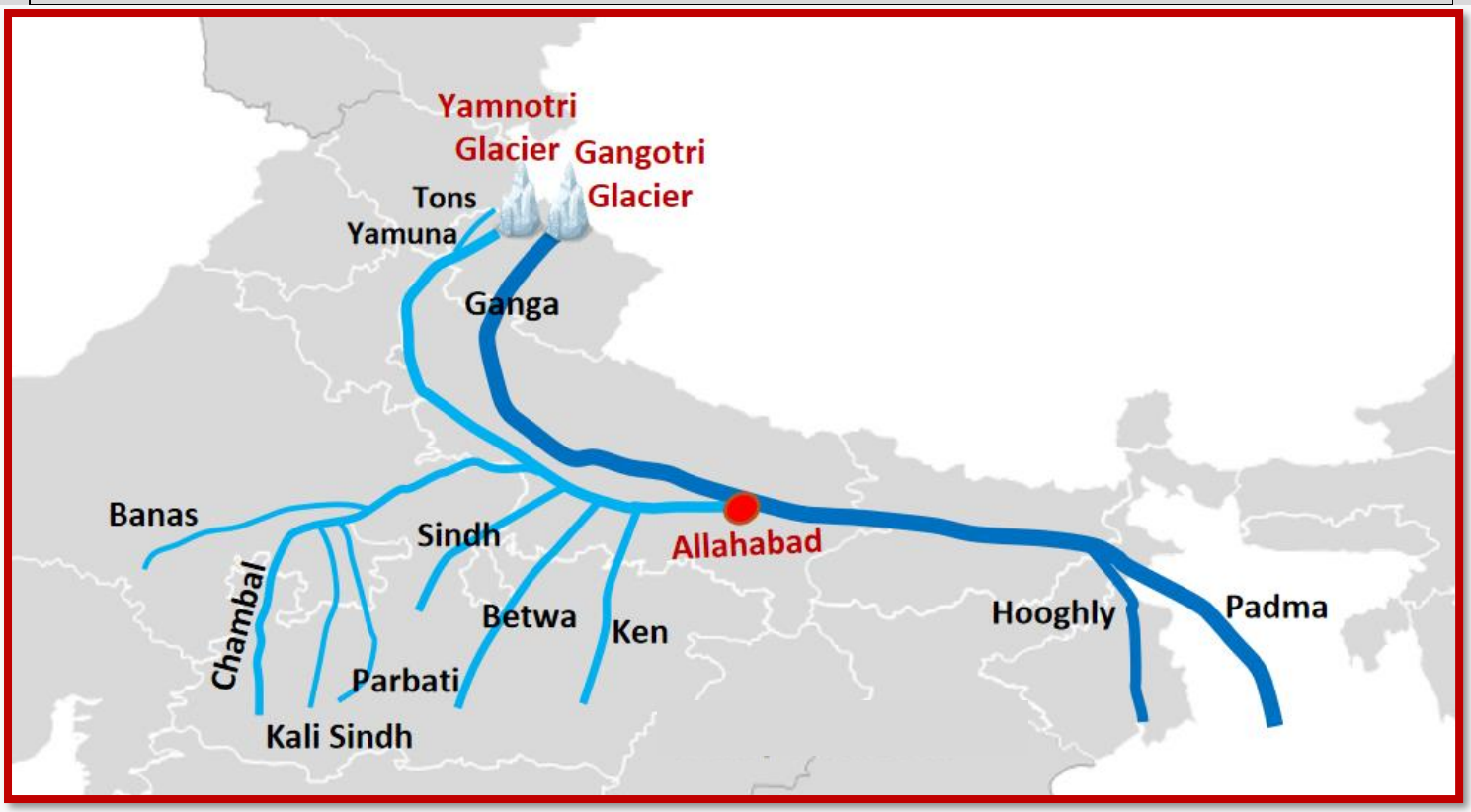

- यमुना गंगा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
- यह उत्तराखंड के गढ़वाल में बंदरपंच चोटी पर यमनोत्री ग्लेशियर से निकलती है (गंगा के स्रोत के बहुत करीब)।

- ऊपरी इलाकों में, यह कई छोटी धाराओं से जुड़ती है। ऊपरी इलाकों में यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी टोंस है जो बंदरपंच चोटी से निकलती है और यमुना के पहाड़ों को छोड़ने से ठीक पहले कलसी में यमुना में मिलती है।
- हिमालय से गुजरने के बाद, यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
- यमुना मथुरा तक दक्षिण की ओर और मथुरा के बाद दक्षिण-पूर्व में इलाहाबाद तक बहती है, जहाँ यह गंगा में मिल जाती है।
- मथुरा और इलाहाबाद के बीच, यह चंबल, सिंध, बेतवा और केन (प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली यमुना की सहायक नदियाँ) से जुड़ती है।

यमुना की प्रायद्वीपीय सहायक नदियाँ

1.1. चम्बल

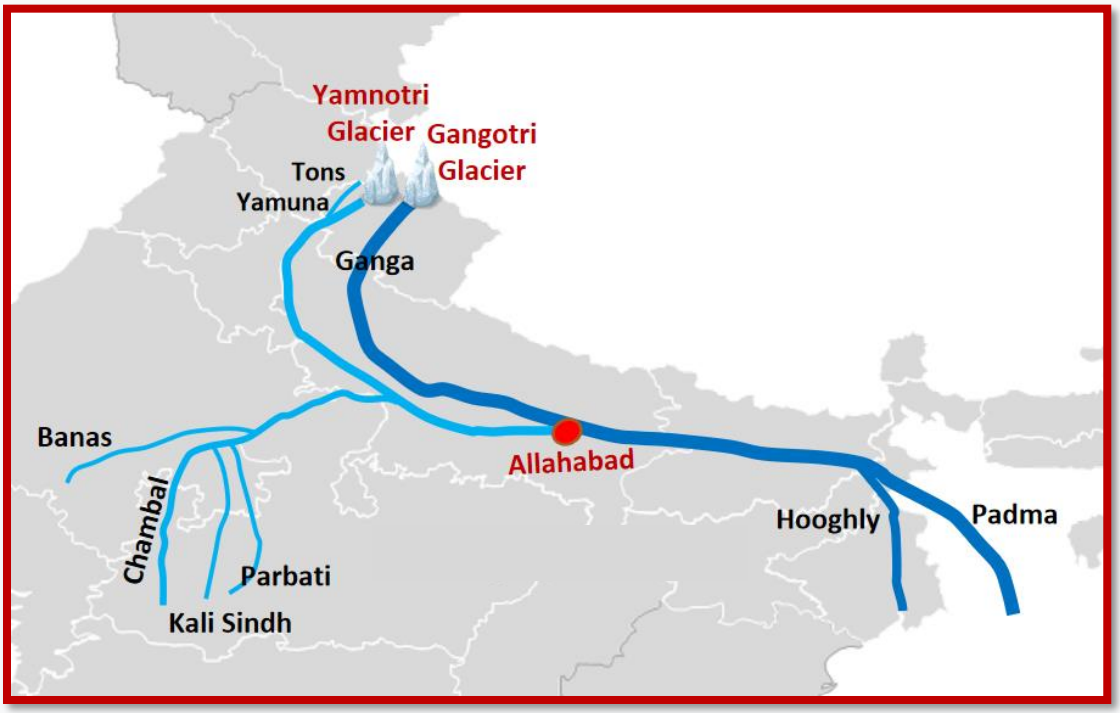

उद्गम	मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में महू कैंट के पास
लंबाई	1050 किमी
प्रवाह	- महू के पास से निकलने के बाद यह मालवा पठार से उत्तर-पश्चिमी दिशा में बहती है।

	- इसके बाद यह चौरासीगढ़ से कोटा (96 किमी लंबी) तक एक घाटी में प्रवेश करती है। - कोटा के बाद यह उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। इसके अलावा, पिनाहट में यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और इटावा (यूपी) में यमुना से मिलने से पहले उसके समानांतर बहती है।
सहायक नदियाँ	1. बनास: अरावली से निकलती है और सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिलती है। 2. काली सिंध (विंध्य से निकलती है) 3. पार्वती (विंध्य से निकलती है)
परियोजनाएँ	1. गांधी सागर 2. राणा प्रताप सागर (रावतभाटा) 3. जवाहर सागर

1.2 सिंध

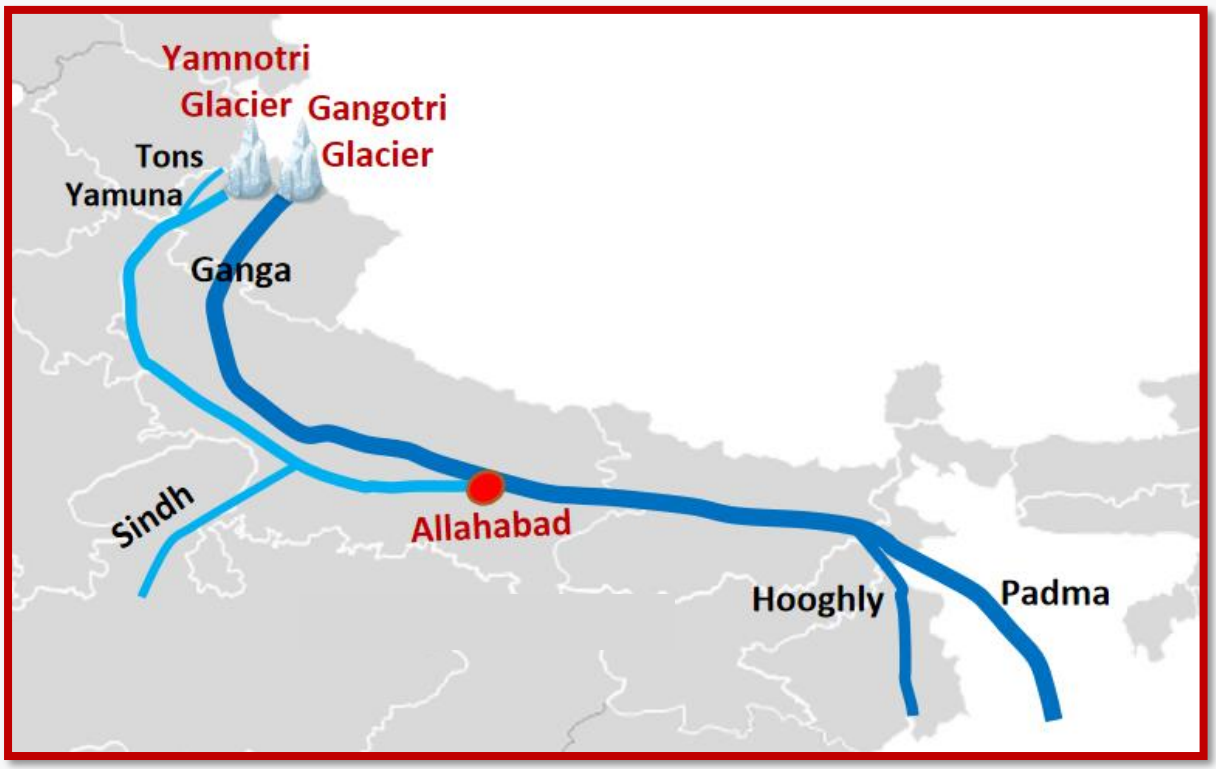

उत्पत्ति	विंध्य पठार

लंबाई	415 किमी
प्रवाह	मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद यह उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है।

1.3 बेतवा

उत्पत्ति	भोपाल जिला
लंबाई	590 किमी
प्रवाह	मध्य प्रदेश से गुजरने के बाद यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है।

1.4 केन

उत्पत्ति	मध्य प्रदेश की बारनर रेंज
लंबाई	360 किमी
प्रवाह	- यह नदी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से होकर गुजरती है और गंगऊ में एक घाटी बनाती है।

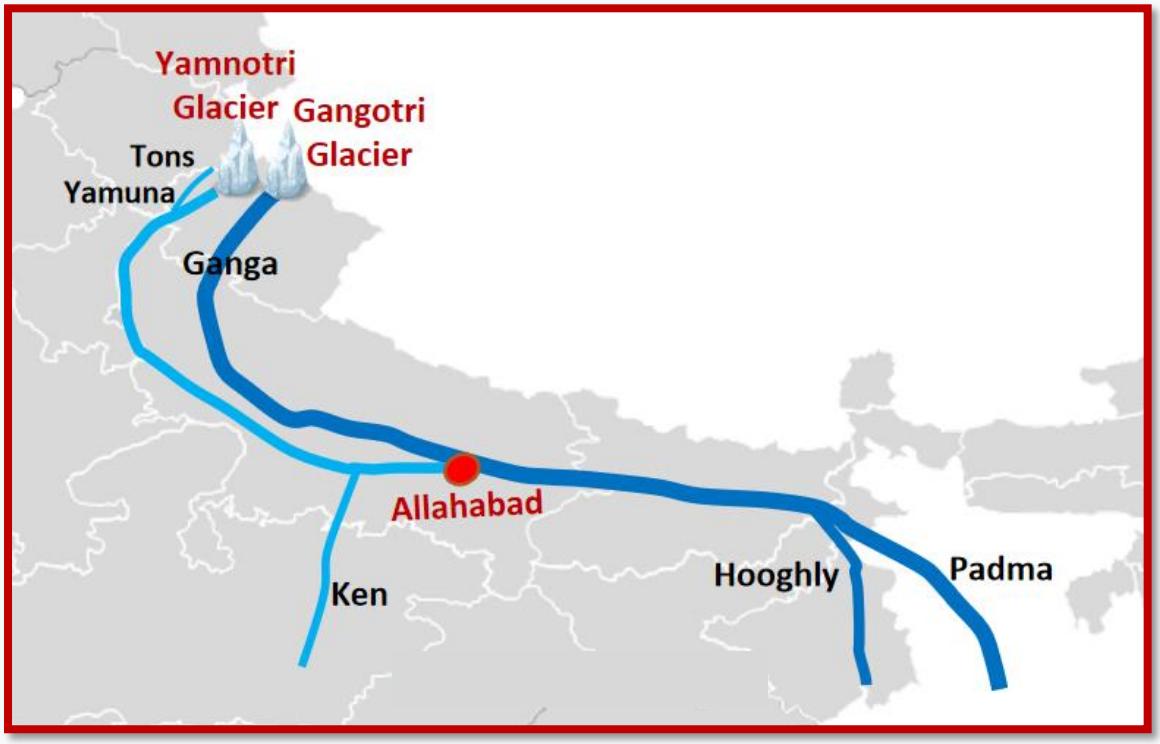

2. सोन

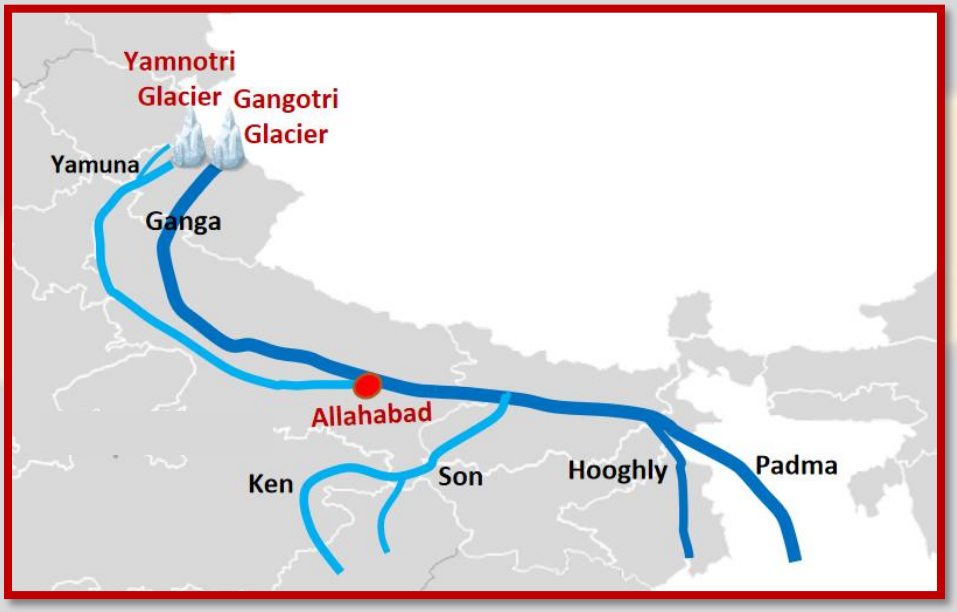

उद्गम	छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार
लंबाई	780 किमी
प्रवाह	- नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर दिशा में बहती है। - कैमूर रेंज से, यह उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ती है और झारखंड के पलामू जिले से होकर गुजरती है। - बाद में, यह बिहार के पटना जिले में गंगा में मिल जाती है।
झरने	सोन नदी पठार से बाहर निकलते समय झरने बनाती है।
महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ	- रिहंद (रामगढ़ पहाड़ियों से) - उत्तरी कोयल (छोटानागपुर पठार से)

3. दामोदर

उत्पत्ति	छोटानागपुर पठार
लंबाई	780 किमी
प्रवाह	- छोटानागपुर पठार से निकलने के बाद यह नदी दरार घाटी से होकर बहती है। - यह नदी विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती थी और इसे 'बंगाल का शोक' कहा जाता था। - यह अंततः कोलकाता से 48 किलोमीटर नीचे पश्चिम बंगाल में हुगली से मिलती है।
बिंदु	– भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) इस पर तिलैया, मैथन और पंचेत बांधों के साथ स्थित है - दामोदर घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है और इसे भारत की रूहर घाटी कहा जाता है।